# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 10 / 2018

1. राधेश्याम
2. राजेन्द्र कुमार
3. सुरेश कुमार
4. कमलेश बाई पिसरान धनपाल जाति मीणा निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. धनपाल पुत्र श्री गिरधारी जाति मीणा निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायर दिनांक--06.02.2018 निर्णय दिनांक : 08.06.2018

वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां में निम्न आराजी स्थित है।

| क0 संख्या | खसरा नं0 | रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 137 | 1.26 है0 |
| 2 | 179 | 1.60 है0 |
| 3 | 185 | 0.45 है0 |
| 4 | 226 | 0.37 है0, |
| 5 | 236 | 0.20 है0 |
| 6 | 244 / 1037 | 0.05 है0, |
| 7 | 640 | 0.01 है0, |
| 8 | 641 | 0.12 है0, |
| 9 | 649 | 0.23 है0, |
| 10 | [illegible] | 1.29 है0 |
| 11 | 738 | 1.60 है0 |
| कुल किता 11 | कुल रकबा | 7.18 है0 |

वादीगण कम 1 लगायत 4 प्रतिवादी नं 1 के पुत्र व पुत्री है तथा अलग–अलग निवास करते चले आ रहे है, प्रतिवादी नं0 1 ने लगभग 10 वर्ष पूर्व निम्न प्रकार से बंटवारा वादीगण के मध्य कर दिया था, जिसके आधार पर प्रत्येक वादीगण अपने अपने हिस्से में प्राप्त आराजी को काश्त कर रहे है

| | |
|---|---|
| [illegible] नं0 1 राधेश्याम | खसरा नं0 185 रकबा 0.22 है0 |
| [illegible]दी नं0 2 राजेन्द्र कुमार | खसरा नं0 179 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.23 है0 उत्तरी, खसरा नं0 244/1037 रकबा 0.05 है0 |
| वादी नं0 3 सुरेश कुमार | खसरा नं0 738 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 683 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 649 रकबा 0.33 है0, |
| वादी नं0 4 कमलेश बाई | खसरा नं0 226 रकबा 0.37 है, खसरा नं0 236 रकबा 0.20 है0 |

उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार प्रत्येक वादी अपनी आराजी को काश्त कर रहा है, तथा शेष आराजी खसरा नं0 640 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 641 रकबा 0.12 है0 को प्रतिवादी नं0 1 काश्त कर रहा है। प्रतिवादी नं0 1 अपने खाते में दर्ज आराजी जो वाद पत्र में वर्णित है को खुर्द बुर्द करना चाहता है तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से वंचित करना चाहता है इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण को दी गई आराजी को बंटवारा करवा कर अपने खाते में दर्ज करा लें। आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्मजात हिस्सा निहित है। अतः खसरा नं0 185 रकबा 0.22 है0 वाके माल महुआ में स्थित आराजी वादी नं0 1 के खाते पृथक से दर्ज की जावें तथा खसरा नं0 179 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.23 है0 उत्तरी, खसरा नं0 244/1037 रकबा 0.05 है0 वादी न0 2 के पृथक खाते दर्ज की जावें, खसरा नं0 738 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 683 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 649 रकबा 0.33 है0 वादी नं0 3 के खाते में पृथक से दर्ज की जावें व खसरा नं0 226 रकबा 0.37 है, खसरा नं0 236 रकबा 0.20 है0 वादीया नं0 4 के खाते में पृथक से दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.02.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी आज दिनांक तक अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रतिवादी कम 1 को एक्स पार्टी घोषित किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के वारिसान है एवं प्रकरण में संदर्भित अपनी--अपनी आराजी में काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के आधार पर ग्राम महुआ तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 185 रकबा 0.22 है0 वाके माल महुआ में स्थित आराजी वादी नं0 1 के खाते, खसरा नं0 179 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.23 है0 उत्तरी, खसरा नं0 244/1037 रकबा 0.05 है0 वादी नं0 2 के खाते,

रा नं0 738 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 683 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 649 रकबा 0.33 है0 वादी नं0 के खाते व खसरा नं0 226 रकबा 0.37 है, खसरा नं0 236 रकबा 0.20 है0 वादीया नं0 4 के खाते पृथक--पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को सरेईजलास मजनेआम में सुनाया गय